



Chicago Commission  
on Human Relations

## यौन उत्पीड़न इसे अनदेखा न करें- इसकी रिपोर्ट करें!

रोजगार में यौन उत्पीड़न निषिद्ध है।

यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति या तो समान लिंग या उत्पीड़क का विपरीत लिंग हो सकता है।

यौन उत्पीड़न के उदाहरणों में शामिल हैं:

- अवांछनीय यौन रूप से विचारोत्तेजक टिप्पणियां, इशारे, ई-मेल, या चित्र
- अवांछित शारीरिक संपर्क
- रोजगार के लाभों के लिए यौन अनुग्रह का अनुरोध करना
- कार्यस्थल में बेहतर व्यवहार (उदा: रोजगार, पदोन्नति) के लिए संबंध (यौन या व्यक्तिगत) का सुझाव देने वाली धमकी।


नियोक्ता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

- पर्यवेक्षकों और अन्य प्रतिनिधियों का आचरण
- गैर-पर्यवेक्षी/प्रबंधकीय कर्मचारियों का आचरण, यदि नियोक्ता कदाचार के बारे में जानता है और सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहता है

*यदि आपको लगता है कि आप रोजगार में यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, तो इसे अनदेखा न करें, इसके बारे में CCHR को रिपोर्ट करें।*



**STOP SEXUAL  
HARASSMENT**

**STOP  
SEXUAL HARASSMENT  
AT WORK**



हमें (312) 744-4474 पर संपर्क करें  
ईमेल: [cchr@cityofchicago.org](mailto:cchr@cityofchicago.org)

वेबसाइट: [Chicago.gov/cchr](http://Chicago.gov/cchr)

 @ChicagoCHR  
 @ChiCCHR



Lori E. Lightfoot  
शिकागो के मेयर